पत्रांक– 6/खा0म0 नीति–03/2009–1263 (6) /रा0

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

आयुक्त
पटना प्रमंडल, पटना
18 DEC 2009

प्रेषक,

डॉ0 सी0 अशोकवर्धन,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता।

पटना, दिनांक– 10.12.09.

विषयः– **सुयोग्य श्रेणी यथा अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग–अनुसूची–I एवं पिछड़ा वर्ग–अनुसूची– II के भूमिहीन परिवारों को वास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 3 डीसमिल भूमि बन्दोवस्ती के सम्बन्ध में।**

प्रशाखा पदाधिकारी
स्थापना/सामान्य/विकास/राजस्व
जन शिकायत कोषांग

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य में दिनों दिन बढ़ती हुई आबादी एवं तद्नुसार भूमि की बढ़ती हुई माँग के आलोक में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भूमिहीन महादलित परिवारों को वास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 3 (तीन) डिसमिल सरकारी भूमि बन्दोबस्त की जाय।

राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या 1226 दिनांक 8.5.81 द्वारा यह निदेश संसूचित है कि अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची–I के परिवारों के साथ देहाती क्षेत्र में आवासीय प्रयोजन हेतु 12.5 डिसमिल तक जमीन की बन्दोबस्ती निःशुल्क की जाय।

इसी प्रकार प्ररिपत्र संख्या–1180 दिनांक 16.5.94 द्वारा यह निदेश संसूचित किया गया है कि पिछड़ा वर्ग–अनुसूची– II के सुयोग्य भूमिहीन व्यक्तियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में गैर मजरूआ मालिक भूमि की बन्दोवस्ती अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा बिना सलामी के उसी प्रकार की जा सकेगी जिस प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग–अनुसूची I के व्यक्तियों के साथ की जाती है।

इस प्रकार भूमिहीन महादलित परिवारों एवं अन्य सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन परिवारों के साथ आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि बन्दोवस्ती के सम्बन्ध में रकबा का विरोधाभास हो गया है।

अतः सरकार द्वारा भूमिहीन सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के साथ भूमि बन्दोवस्ती के लिए रकबा में एकरूपता रखने हेतु विभागीय परिपत्र संख्या–1226 दिनांक 8.5.81 एवं परिपत्र संख्या–1180 दिनांक 16.5.94 को निम्नवत संशोधित करने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग–अनुसूची–I एव अनुसूची–II के भूमिहीन परिवारों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय प्रयोजन हेतु 3 (तीन) डीसमिल गैर मजरूआ मालिक भूमि की निःशुल्क बन्दोवस्ती अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से की जाएगी।

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग अनुसूची– I एवं अनुसूची–II के भूमिहीन परिवारों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय प्रयोजन हेतु 3 (तीन) डीसमिल गैर मजरूआ आम भूमि की निःशुल्क बन्दोवस्ती पूर्ववत सरकार के स्तर से की जाएगी।

(3) विभागीय परिपत्र सं0–1226 दिनांक 8.5.81 एवं परिपत्र संख्या–1180 दिनांक 16.5.94 के शेष प्रावधान यथावत् रहेंगें।

(4) उपर्युक्त संशोधन पत्र निर्गत की तिथि से लागू माना जाएगा।

अनुरोध है कि सरकार के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में उपर्युक्त वर्णित सुयोग्य श्रेणी के सदस्यों के साथ सरकारी भूमि की बन्दोवस्ती की कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1263 (6) 25 दिनांक 10-12-09

प्रतिलिपि–सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव